न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 20/2018 शस्त्र अधिनियम्
GCMS No. 2018/00070

सुखवीर सिंह बराड़ पुत्र श्री मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ छोटी, वार्ड नं. 8, सोभासिंहवाला, जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर जरिये राजकीय अभिभाषक।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह — अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष की ओर से।

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग-बीकानेर

निर्णय

दिनांकः 20.04.2026

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 28.05.2018, जिसके द्वारा अपीलांट के वृद्ध पिता के स्थान पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपीलांट के वृद्ध पिता के स्थान पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 पारित करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी ।
4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने अपने पिता के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 01/81/डीएम श्रीगंगानगर का था,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिस पर शस्त्र 12 बोर गन डीबीबीएल एनपीबी दर्जशुदा थी, जो लाईसेंस 28.02.2020 तक नवीनीकृत था। अपीलांट ने अपने पिता के उक्त लाइसेंस को अपने नाम से जारी किये जाने बाबत एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके पेश किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर दिये बिना तथा लाईसेंस संबंधी पत्रावली के समस्त दस्तावेजों का अध्ययन किये बिना ही आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया। अपीलाधीन अनुज्ञा पत्र का लगातार नवीनीकरण होता रहा है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध दो प्रकरण दर्ज होना अवगत कराया गया है किन्तु उक्त दोनों प्रकरणों का निस्तारण होने के बाद लाईसेंस नवीनीकृत किया गया। अनुज्ञापत्रधारी पर शस्त्र के दुरूपयोग का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत को अवलोकनीय बताया हैं:–

- AIR 1972 All 510
- RRD 2005 Vol-1 431

अपीलाधीन आदेश/पत्र साईक्लो स्टाईल ऑर्डर है, जिसमें ज्यूडिशियल माईण्ड अप्लाई नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र/आदेश में पुलिस जांच रिपोर्ट के बाबत भी कोई उल्लेख नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

5. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 पारित करते हुए अपीलांट के पिता के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र के स्थान पर अपीलांट के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को पुलिस से करायी गई जांच में आवेदक के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में तथ्य सही नहीं पाये गए हैं तथा उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा मुकदमें जुर्माने, प्रताड़ना एवं भर्त्सना के दण्ड से दण्डित किया गया है, के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश न्यायोचित हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 पारित करते हुए अपीलांट के आवेदन पत्र को खारिज कर दिया। अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष अन्य कोई साक्ष्य व सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर विचार किया जा सके। अतः न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि व्यापक लोक शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

7. तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर